

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 120

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2024-02255

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "लक्सोरा एण्ड एड्ज", प्रमोटर-श्री बालाजी डेव्हलपर्स, द्वारा श्री बिमल कुमार छावछारिया, पता-विधानसभा रोड, मोवा, रायपुर (छ.ग.)  
प्रोजेक्ट-"लक्सोरा एण्ड एड्ज" पता-मोवा, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
15/03/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा-5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट "लक्सोरा एण्ड एड्ज" पंजीयन क्रमांक- <b>PCGRERA130618000132</b> के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनांक 13.06.2018 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनांक 31.12.2019 को समाप्त हो चुकी है। प्रमोटर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 अनुसार प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आ चुका है। उक्त कृत्य भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 के उपबंधों का उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा-59 के अधीन प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है।</p> <p>रजिस्ट्रार, छ.ग. द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 28.11.2023 के अनुसार यह पाया गया है कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों का अवहेलना व उल्लंघन करते हुये उक्त प्रोजेक्ट की वैधता समाप्त होने के बावजूद प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 22.02.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट को विकसित किया गया है और सक्षम प्राधिकारी से दिनांक 30.09.2021 को कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का त्रैमासिक अद्यतन जून, 2021 तक पूर्ण किया गया है। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट पंजीयन का नवीनीकरण 30.05.2022 तक किया जा चुका है।</p>	

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 120

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2024-02255

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "लक्सोरा एण्ड एड्ज", प्रमोटर-श्री बालाजी डेव्हलपर्स, द्वारा  
श्री बिमल कुमार छावछारिया, पता-विधानसभा रोड, मोवा, रायपुर (छ.ग.)  
प्रोजेक्ट-"लक्सोरा एण्ड एड्ज" पता-मोवा, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>अनावेदक के विरुद्ध राशि 1,000/- (एक हजार रुपये) शास्ति अधिरोपित की जाती है।</p> <p>अनावेदक द्वारा शास्ति की राशि निर्धारित शीर्ष मद में दिनांक 15.03.2024 को जमा कर चालान की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया।</p> <p>अनावेदक को अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी देते हुये प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p> <p>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। - प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p style="text-align: center;">सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	